106/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
16/10/25	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेघाज्ञा का पेश किया गया है,जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी राहत प्राप्त करने का हकदार है अथवा नही। विवादित भूमि के प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड सहखातेदार है,इस कारण सहखातेदार को स्थगन आदेश से पांबद नही किया जा सकता है। लेकिन मूलवाद के बंटवाड़ा होने तक विवादित भूमि की मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे नही बढे,इस कारण मौके की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में मौका की यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक बनती है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2025 से दोनो पक्षो को विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा